

प्रेस नोट

दीव जिला प्रशासन द्वारा प्रेस नोट जारी करते हुए यह सूचित किया गया है कि मोटर वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के कार्यों को जल्दी से निपटाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा इन्हें संबन्धित आवेदकों द्वारा अपने आवेदन में दिये गए पते पर केवल डाक द्वारा भेजा जाएगा ।

दीव जिला के आम नागरिकों को यह सूचित किया गया है कि जिन्होंने मोटर वाहन के पंजीकरण एवं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, उन्हें ये दस्तावेज डाक द्वारा भेजे जाएंगे ।